

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/319
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00316
CICOM/R/2016/00783

दिनांक: 05.09.2016

अपीलकर्ता : श्री सईदुर्रहमान,
रनिन्ग रोड कालोनी, एल.डी. - 11-एम,
टेढ़ी पुलिया, आलमबाग, लखनऊ - 226005.

निर्णय की तारीख: 05.09.2016

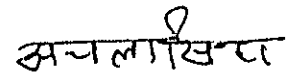
आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	03.05.2016 (31.05.2016 को आयोग में डायराईज)
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	20.06.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री दिनेश कुमार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	05.07.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	159160/27.07.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	446/28.07.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम में अपीलकर्ता के द्वितीय अपील वापस किए जाने से संबंधित सात बिंदुओं पर सूचना मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री दिनेश कुमार, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सेन्ट्रल रजिस्ट्री, केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रदान की गई सूचना से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है। प्रस्तुत प्रथम अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने अभियोग लगाया है कि उन्होंने हिंदी भाषा में आवेदन दाखिल किया था जिसका प्रतिउत्तर उन्हें राजभाषा नियमों का उल्लंघन करते हुए उन्हें अंग्रेजी भाषा में दिया गया तथा उपलब्ध कराई गई सूचना अपूर्ण एवं अस्पष्ट है।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता को आवेदन केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 31.05.2016 को डायराईज हुआ, जो कि भूलवश किसी अन्य अनुभाग/रजिस्ट्री को मार्क हो जाने के कारण दिनांक 13.06.2016 को आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ और आयोग में आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर ही अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध करवा दी गई। प्रदान की गई सूचना अंग्रेजी भाषा में एवं बिंदुवार सूचना न देकर समेकित सूचना प्रदान की गई है। अतः उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सेन्ट्रल रजिस्ट्री, केन्द्रीय सूचना आयोग को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के अंदर अपीलकर्ता को उनके आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में बिंदुवार सूचना उपलब्ध करवाई जाए एवं हिंदी भाषा में प्राप्त आर.टी.आई. आवेदनों के संदर्भ में हिंदी भाषा में ही सूचना उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाए, आवश्यकतानुसार सूचना से संबंधित अन्य अधिकारियों की सहायता ली जा सकती है।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।



(अचला सिन्हा)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

✓ 2. उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सेन्ट्रल रजिस्ट्री, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।